फैक्स/ई–मेल **शीर्ष प्राथमिकता/अति महत्वपूर्ण**

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0,
अनुभाग–4, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः जी 613/4–विविध 01/2018 (मानचित्रालय) दिनांक–14 दिसम्बर, 2020

विषय– भूलेख नियमावली के प्राविधानों एवं शासनादेश दिनांक 29–01–2019 का शत् प्रतिशत अनुपालन कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपको सम्बोधित तथा परिषद व अन्य को पृष्ठांकित शासन के पत्र संख्या 1436/एक–9–2020–1912 (रिट)/2018 दिनांक 27–11–2020 **(प्रति संलग्न)** का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, शासन द्वारा अपने पूर्व प्रेषित पत्र संख्या डब्ल्यू–59/एक–9–2018–1912 (रिट)/2018 दिनांक 29–01–2019 **(प्रति संलग्न)** का संदर्भ देते हुये जनपदों में अभियान चलाकर भूलेख नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन शत् प्रतिशत किए जाने तथा शासनादेश दिनांक 29–1–2019 में निहित निर्देशों एवं भूलेख नियमावली के प्राविधानों के अक्षरशः अनुपालन में शिथिलता बरतने के सम्बन्ध में दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही कर शासन को अवगत कराने की अपेक्षा की गयी है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के पत्र संख्या डब्ल्यू–59/एक–9–2018–1912(रिट)/2018 दिनांक 29–01–2019 के परिप्रेक्ष्य में निर्गत परिषदादेश संख्या जी 71/4–विविध 01/2018 (मानचित्रालय) दिनांक 05–02–2019 **(प्रति संलग्न)** द्वारा नियमित तौर पर खसरा, खतौनी में नामांकन एवं भू–मानचित्र में संशोधन किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश भूमि लेख नियमावली के संबंधित प्राविधानों के साथ ही नक्शा, खसरा, खतौनी व अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण सम्बन्धी नियमावली में अन्य वर्णित सुसंगत प्राविधानों एवं उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा–30, 32 एवं 38 के अन्तर्गत नक्शा, खसरा, खतौनी के अनुरक्षण एवं अभिलेखों में समस्त परिवर्तन/किसी गलती और लोप के सुधार से सम्बन्धित प्रकरणों का यथाशीघ्र निस्तारण कराने के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्राविधानों का शत–प्रतिशत कड़ाई से अनुपालन करने हेतु जनपद एवं तहसील स्तरीय समस्त राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों को कड़े निर्देश निर्गत करने के साथ ही उत्तर प्रदेश भूमि लेख नियमावली के प्राविधानों के अनुसार सतत्

अनुश्रवण करने एवं कृत कार्यवाही से शासन/परिषद को भी यथाशीघ्र अवगत कराने हेतु पूर्व में निर्देशित किया गया है।

3– अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि प्रश्नगत प्रकरण में उपरिवर्णित शासनादेश दिनांक 27–11–2020 में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 29–01–2019 तथा पूर्व प्रेषित परिषदादेश दिनांक 05–02–2019 में विहित दिशा निर्देशों के अनुक्रम में अपने–अपने जनपद में अभियान चलाकर भूलेख नियमावली के प्राविधानों का कड़ाई से शत प्रतिशत अक्षरशः अनुपालन करायें साथ ही उपर्युक्त शासनादेशों/परिषदादेशों एवं भूलेख नियमावली में विहित प्राविधानों के अनुपालन में शिथिलता बरतने वाले दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही कर शासन एवं परिषद को अनिवार्य रूप से अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीया,

(मनीषा त्रिघाटिया)
आयुक्त एवं सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–सचिव, उ0प्र0 शासन, राजस्व विभाग लखनऊ को उनके पत्र संख्या 1436/एक–9–2020–1912 (रिट)/2018 दिनांक 27–11–2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2–समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार अधीनस्थ जनपदों को आवश्यक निर्देश निर्गत करने के साथ ही प्रभावी अनुश्रवण भी करने का कष्ट करें।

3–चकबन्दी आयुक्त, उ0प्र0, सप्तम् तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रीना सिंह)
प्रभारी अधिकारी,
कृते आयुक्त एवं सचिव।

अति महत्वपूर्ण

संख्या– 1436/एक–9–2020–1912(रिट)/2018

प्रेषक,

संजय गोयल,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–9 लखनऊः दिनांकः 27 नवम्बर, 2020

विषयः–भूलेख नियमावली के प्राविधानों एवं शासनादेश दिनांक 29.01.2019 का शत् प्रतिशत अनुपालन कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–डब्लू–59/एक–9–2018–1912(रिट)/2018, दिनांक 29.01.2019 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में उक्त शासनादेश दिनांक 29.01.2019 निर्गत किया गया है, परन्तु यह संज्ञान में आया है कि कतिपय जिलों में उक्त शासनादेश का अक्षरशः अनुपालन किये जाने में शिथिलता बरती जा रही है।

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत शासनादेश संख्या– डब्लू–59/एक–9–2018–1912(रिट)/2018, दिनांक 29.01.2019 के परिप्रेक्ष्य में अभियान चलाकर यह सुनिश्चित कर लें कि भूलेख नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन शत्–प्रतिशत किया जाय। यदि उक्त शासनादेश एवं भूलेख नियमावली के प्राविधानों के अनुपालन में शिथिलता बरती जा रही हो, तो दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही कर शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(संजय गोयल)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(घनश्याम चतुर्वेदी)
अनु सचिव।

writ

महत्वपूर्ण / कोर्टकेस

संख्या–ω–59 /एक–9–2018–1912(रिट)/2018

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–9

लखनऊ: दिनांक: 29 जनवरी, 2019

विषयः–रिट याचिका संख्या–29430(सी)/2018 बरेन्द्र व अन्य बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों दिनांक 11–09–2018 तथा 21.12.2018 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

रिट याचिका संख्या–29430(सी)/2018 बरेन्द्र व अन्य बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय दिनांक 11.09.2018 को पारित ओदश का कियात्मक अंश निम्नवत् है:–

A direction is, therefore, being issued to the State 15 Government that Khasra entries should be regularly and religiously filled in by the Revenue Authorities, namely, the Lekhpals and the Tehsildars thrice every year. The Maps shall also be corrected as per the changes. If entries are made properly in the Revenue Records then there would be absolutely no occasion for any villager to say that he had been in possession over the Gaon Sabha land before a certain cut off date and not somebody else.

Further more, if in any particular Fasli year wrongful possession is found then the Gaon Sabha and the State Authorities should take action under Section 67 of the U.P. Revenue Code immediately, unless, of course, they want the illegal occupant to continue. If they allow the down trodden villager to continue to live on their own land then it is a different matter. But this much, the State Authorities should ensure that the correction of Maps, khasra entries and entries in the khataunis are done regularly. If any 16 objection is made to any entry then they should also be addressed.

Let a copy of this order be sent to the Chief Secretary, Revenue Secretary and all the District Magistrates of all the Districts of Uttar Pradesh through the Registrar General of the High court so that a direction may be issued to all the Lekhpals and the Tehsildars that they may fill the khasras and the khatuanis regularly as per the provisions of the U.P. Land Record Manual. The Maps may also be rectified.

2. मा0 उच्च न्यायालय द्वारा इस रिट याचिका संख्या 29430(सी)/2018 में दिनांक 21.12.2018 को आदेश पारित किये गये जिसका कियात्मक अंश निम्नवत् है:–

In such circumstances, direction is being issued to the Principal Secretary, Revenue and the Chairman of the Board of Revenue, Lucknow that they may see that the order dated 11.09.2018 is complied with.

Put up this case on 10.01.2019. On that date the following issues shall be looked into by the Court and the Principal Secretary, Revenue and the Chairman, Board of Revenue may, therefore, instruct the learned Standing counsel :-

1. How are the authorities making entries in the Khasras thrice every year as per the Land Record Manual.
2. How are the maps being corrected as per the land record manual.
3. After the entries in the Khasras are made and corrections in the maps are incorporated, who is the authority, who oversees the entries and the corrections.

3. आपको अवगत कराना है कि प्रश्नगत रिट याचिका संख्या–29430(सी0)/2018 ''बरेन्द्र व अन्य बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य में'' मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में निम्नलिखित 03 बिन्दुओं पर कार्यवाही की जानी है:–

(1) How are the authorities making entries in the Khasras thrice every year as per the Land Record Manual.
(2) How are the maps being corrected as per the land record manual.
(3) After the entries in the Khasras are made and correction in the maps are incorporated, who is the authority, who oversees the entries and the corrections.

4. मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा उक्त आदेश दिनांक 21–12–2018 के अनुपालन के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद में नियमों में प्राविधानित निम्नलिखित व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें :–

क0सं0	बिन्दु/प्रस्तर	सूचना
1–	1. How are the authorities making entries in the Khasras thrice every year as per the Land Record Manual.	इस सम्बन्ध में भू–लेख नियमावली के **अध्याय 5** ''मानचित्र (शजरा) व खसरा (क्षेत्रिक पंजी) (उन क्षेत्रों में, जहॉ पर 1950 ई0 का जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू नहीं हो, प्रचलित) में वर्णित **पैरा 55,** में निरीक्षण दौरे (पर्यटन) की व्याख्या की गयी है जिसके अनुसार लेखपाल अपने हल्के के प्रत्येक ग्राम के प्रत्येक खेत का प्रति वर्ष 03 बार निरीक्षण करेगा उसके दौरे कमशः 10 अगस्त, 01 जनवरी व 01 मई को आरम्भ होंगे। पहला, दूसरा व तीसरा कमशः 25 सितम्बर, 15 फरवरी व 31 मई तक पूरा किया जायेगा। **पैरा 60** में खसरा तैयार करने की विधि का वर्णन किया गया है। खसरा एक क्षेत्रिक पुस्तक है जिसमें लेखपाल समय समय पर सीमाओं के सब परिवर्तनों और ऐसी सब बातों को जिनकी आवश्यकता खतौनी या कृषि ऑकड़े तैयार करने के लिये होती है, उल्लेख करेगा। आकार पत्र संख्या प–3 में तैयार किया जायेगा। स्तम्भ 01 से 08 तक पहली बार निरीक्षण के लिये जाने से पहले भरे जायेगें। काश्तकारों और शिकमी काश्तकारों के नाम और खरीफ की फसलों के सम्बन्ध में इन्द्राज पहले दौरे के समय किये जायेगें। रबी और जायद फसलों के सम्बन्ध में प्रविष्टियां कमशः दूसरे और तीसरे दौरे के समय की जायेंगी। काश्तकारों के अधिकारों और दायित्वों के सम्बन्ध में प्रविष्टिक पहले दौरे के समाप्त होने से पहले किये जायेंगे या रबी के मौसम (फसलों) के लिये उठायी हुयी भूमियों के सम्बन्ध में पहले निरीक्षण के समाप्त होने के बाद जितनी शीघ्र सम्भव हो सके, किये जायेंगे। अन्य सब प्रविष्टियॉ वर्ष में जितनी शीघ्र हो सकेंगी, की जायेंगी। लेखपाल सब प्रविष्टियों की शुद्धता के लिये उत्तरदायी है और

		उसे सम्बद्ध व्यक्तियों से पूछताछ करके और खेतों के निरीक्षण द्वारा तथ्यों के सम्बन्ध में अपना सन्तोष अवश्य कर लेना चाहिये। खसरा 30 अप्रैल तक अवश्य पूरा कर लिया जाय। लेखपाल खसरे को एक वर्ष तक़ अपने पास रखेगा और वह अगले वर्ष की 31 जुलाई या उससे पहले (रजिस्ट्रार) कानूनगो के पास जमा किया जायेगा। भू–लेख नियमावली के **अध्याय क 5** "मानचित्र (शजरा) व खसरा (क्षेत्रिक पंजी) (उन क्षेत्रों पर लागू जिन पर 1950 का जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू होता है) में वर्णित **पैरा क–55**, में निरीक्षण दौरे (पर्यटन) की व्याख्या की गयी है जिसके अनुसार लेखपाल अपने हल्के के प्रत्येक ग्राम के प्रत्येक खेत का प्रति वर्ष 03 बार निरीक्षण करेगा उसके दौरे क्रमशः 10 अगस्त, 01 जनवरी व 01 मई को आरम्भ होंगे। पहला, दूसरा व तीसरा क्रमशः 25 सितम्बर, 15 फरवरी व 31 मई तक पूरा किया जायेगा। **पैरा क–60** में खसरा तैयार करने की विधि का वर्णन किया गया है। खसरा एक क्षेत्रिक पुस्तक है जिसमें लेखपाल समय समय पर सीमाओं के सब परिवर्तनों और ऐसी सब बातों को जिनकी आवश्यकता खतौनी या कृषि ऑकड़े तैयार करने के लिये होती है, उल्लेख करेगा। **आकार पत्र संख्या प–क–3** में तैयार किया जायेगा। स्तम्भ 01 से 05 तक पहली बार दौरे पर जाने से पहले लिखे जायेंगे। स्तम्भ 07 से 09 तक पहले दौरे के समय स्तम्भ 10 से 12 तक दूसरे दौरे पर जाने, स्तम्भ 13 से 15 तक तीसरी बार दौरे के समय, स्तम्भ 06 के इन्दाज तीनों निरीक्षण के दौरे के समय जैसा कि दशाओं के अनुसार अपेक्षित हो, किये जायेंगे। शेष स्तम्भों को तीसरे निरीक्षण के बाद यथाशीघ्र लिख कर पूरा किया जायेगा। लेखपाल सब इन्द्राजों को शुद्ध (ठीक) रखने के लिये उत्तरदायी है और उसे सम्बद्ध व्यक्तियों से पूछताछ करके और स्वयं खेतों का निरीक्षण करके सच्ची बातों (तथ्यों) के सम्बन्ध में अपना संतोष अवश्य कर लेना चाहिये। खसरा 30 अप्रैल तक अवश्य पूरा कर लिया जाय। व लगभग 100–100 पन्नों के बंधे हुये खण्डों में रखे जायेंगे। ख़सरे के बन जाने पर लेखपाल उन खेतों के सामने के स्तम्भ 04,05,20, और 21 काट देगा, जो रिक्त पड़े हों। पूरा हो जाने के बाद, खसरे को लेखपाल एक वर्ष तक अपने पास रखेगा और वह अगले वर्ष की 31 जुलाई या उससे पहले (रजिस्ट्रार) कानूनगो के पास जमा किया जायेगा। **उक्त के अतिरिक्त भूलेख नियमावली के अध्याय 05 के पैरा 61 लगायत 102 तथा अध्याय क 5 के पैरा क 55, क 61 लगायत क 102 में खसरा में की जाने वाली प्रविष्टियों की प्रकिया का विस्तृत वर्णन किया गया है।**
2–	2. How are the maps being corrected as per the land record manual.	**बिन्दु/प्रस्तर 02** के सम्बन्ध में भू–लेख नियमावली **अध्याय 5** " मानचित्र (शजरा) व खसरा (क्षेत्रिक पंजी) (उन क्षेत्रों में , जहॉ पर 1950 ई0 का जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू नहीं हो, प्रचलित) के पैरा 56 लगायत पैरा 59 **शजरा (भू–मानचित्र) में की जाने वाली प्रविष्टियों की प्रक्रिया** का विस्तृत वर्णन पैरा 56 के अनुसार लेखपाल मानचित्र की उस प्रति पर किसी परिवर्तन का लेख नहीं करेगा जो उसे पिछली, पैमाइश, चकबन्दी या बटवारे के अवसर पर दी गयी हो। वह साधारणतः परिवर्तनों का लेख करने के लिये मानचित्र की इस प्रति की एक अनुरेखित प्रतिलिपि बनायेगा किन्तु जब मानचित्र मुद्रित करा लिया

		गया हो तो वह इस प्रयोजन के लिये उसकी एक छपी हुयी प्रति ले सकता है। परिवर्तनों का लेख करने के लिये मानचित्र का उपयोग प्रतिवर्ष उस समय तक बराबर किया जायेगा, जब तक कि वह अधिक उपयोग या उसमे बहुत अधिक परिवर्तन हो जाने के कारण बेकार न हो जाय, जब मानचित्र बेकार हो जाय तो लेखपाल भू–लेख निरीक्षक की आज्ञा लेकर उससे एक नया मानचित्र तैयार करेगा जिसमें खेतों की वर्तमान सीमाऐं दिखायी जायेंगी और जो सीमाऐं अब न रही हों वे छोड़ दी जायेंगी। नये मानचित्र पर भू–लेख निरीक्षक के उसकी जॉच के सम्बन्ध में हस्ताक्षर हो जाने के बाद लेखपाल पुराना मानचित्र पंजीयक (रजिस्ट्रार) कानूनगो के पास जमा कर देगा। **पैरा 57** के अनुसार मानचित्र का संशोधन की स्थिति के सम्बन्ध में व्याख्या है जिसके अनुसार प्रत्येक निरीक्षण के समय लेखपाल खेतों का क्रमानुसार अपने मानचित्र से मिलान करेगा और उस पर खेतों की सीमाओं के सब परिवर्तनों और अन्य परिवर्तनों को आवश्यक पैमाइश करने के दिखलायेगा। निरीक्षण के समय खेतों के परिवर्तनों को पेंसिल से बना लिया जायेगा किन्तु बाद में उनको लाल स्याही से अवश्य पक्का कर लेना चाहिये। जब कोई खेत दो या अधिक टुकड़ों में बंटा हुआ पाया जाय तो लेखपाल प्रत्येक टुकड़े पर अलग अलग संख्या डालेगा। वह मूल संख्या को ऊपर, अर्थात अंश के स्थान पर और टुकड़े की संख्या को नीचे हर के स्थान पर रखेगा। किन्तु यदि यह टुकड़े एक ही वर्ग के भौमिक अधिकार के अन्तर्गत एक ही व्यक्ति के कृषिक कब्जे में हों तथा एक ही पट्टी या खाता खेवट के हों तो उन पर अलग अलग संख्याऐं डालना आवश्यक नहीं है और इस दशा में उन टुकड़ों को केवल बिन्दुओं की रेखा से दिखा देना चाहिये। यदि भिन्नात्मक संख्याओं वाले खेत फिर से इस प्रकार मिल जायें कि मूल खेत अपनी पिछली पैमाइश के समय भी दशा में आ जाये तो भिन्नात्मक संख्याऐं निकाल दी जायेंगी और खेत की मूल संख्या फिर से डाल दी जायेगी। यदि किसी गॉव के मानचित्र को ठीक करने के लिये किसी समय बहुत बड़े परिमाण में पैमाइश करना आवश्यक हो तो लेखपाल भू–लेख निरीक्षक से आवश्यक उपकरणों के उपयोग और अपेक्षित सहायता के लिये प्रार्थना करेगा। ऐसी प्रार्थना उस वर्ष की 31 अक्टूबर से पहले की जानी चाहिये जिसमें ऐसी अवश्यकता उत्पन्न हो जाये। पैमाइश का काम करने में गॉव की पैमाइश के लिये नियम और अनुदेशों नामक पर्चे में दिये हुये अनुदेशों का अनुसरण आवश्यक परिवर्तनों के साथ किया जाना चाहिये। **पैरा 59** के अनुसार 30 अप्रैल तक मानचित्र के संशोधन को पूर्ण और परिवर्तनों को स्याही से स्थायी कर दिया जायगा। ऐसे गॉव में जहॉ खेतों की सीमाओं का रूप और स्थिति बराबर बदलती रहती है, कलेक्टर मानचित्र पर किये गये परिवर्तनों का स्याही से ठीक करना स्थगित कर सकता है। **भू–लेख नियमावली अध्याय क–5 " मानचित्र (शजरा) व खसरा (क्षेत्रिक पंजी) (उन क्षेत्रों में , जहॉ पर 1950 ई0 का जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू होता है) के पैरा क–56 एवं क–57 एवं क–59 में शजरे के संशोधन उपरिवर्णित पैरा 56, 57, एवं 59 के अनुसार ही किया जाना प्राविधानित है।**
3–	3. After the entries in the Khasras are	**बिन्दु/प्रस्तर 03** के सम्बन्ध में प्रस्तुत करना है कि खसरा के सम्बन्ध में लेखपाल सब इन्द्राजों को शुद्ध (ठीक) रखने के लिये उत्तरदायी है। खसरे को लेखपाल एक वर्ष तक अपने पास रखेगा और

made and corrections in the maps are incorporated, who is the authority, who oversees the entries and the corrections.	वह अगले वर्ष की 31 जुलाई या उससे पहले (रजिस्ट्रार) कानूनगो के पास जमा किया जायेगा। इसी प्रकार भू–मानचित्र के सम्बन्ध में नये मानचित्र पर भू–लेख निरीक्षक के उसकी जॉच के सम्बन्ध में हस्ताक्षर हो जाने के बाद लेखपाल पुराना मानचित्र पंजीयक (रजिस्ट्रार) कानूनगो के पास जमा कर देगा। **राजस्व संहिता की धारा 32**, के अनुसार कलेक्टर के नियन्त्रण के अधीन रहते हुये उप जिलाधिकारी, तहसीलदार या राजस्व निरीक्षक इस अध्याय (अध्याय 5) में आगे उपबन्धित रीति से खतौनी, खसरा और मानचित्र में समस्त परिवर्तनों को और जो घटित हो और जो ऐसे अन्य समस्त संव्यवहारों को जिनका किन्ही अभिलिखित या हितों पर प्रभाव पड़े, अभिलिखित करेगा और उनमें किन्ही ऐसी गलतियों को ठीक करेगा जिनके बारे में यह साबित हो जाये कि वह पहले तैयार किये गये अभिलेख में की गयी थीं परन्तु यह कि नक्शा में संशोधन का आदेश कलेक्टर द्वारा पारित किया जायेगा।

5. इस संबंध में आपसे यह भी अनुरोध है कि कृपया अभियान चलाकर यह सुनिश्चित कर लें कि भू–लेख नियमावली के प्राविधानों का शत–प्रतिशत अनुपालन किया जा रहा है यदि कहीं पर अनुपालन में शिथिलता बरती जा रही हो, तो उसे शीघ्र पूर्ण कराये तथा दोषी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0–60-59 (1)/एक–9–2019–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपर्युक्तानुसार मा0 उच्च न्यायालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र संख्या–डब्लू–07/4–विविध 01/2018 दिनांक 08.01.2019 के संदर्भ में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत रिट याचिका में पारित ओदश दिनांक 11.09.2018, 21.12.2018 तथा 21.01.2019 का स्वयं अध्ययन कर मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कराने तथा प्रभावी पैरवी हेतु किसी भिज्ञ अधिकारी को नामित करने का कष्ट करें। अगली सुनवाई की तिथि 06.02.2019 को नियत है।
3. जिलाधिकारी, गाजीपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों– 11.09.20187, 21.12.2018 तथा 21.01.2019 में दिये गये निर्देशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करते हुए संगत अभिलेखों सहित संबंधित मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से सम्पर्क कराये जाने हेतु प्रकरण से भिज्ञ अधिकारी को निर्देशित करने तथा प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। यदि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा शासन के विपरीत आदेश पारित किया जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।
4. विशेष सचिव एवं स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(आर0वी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

फैक्स/ई–मेल महत्वपूर्ण/स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0,
अनुभाग–4, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः जी 71/4–विविध 01/2018 (मानचित्रालय) दिनांक–~~05 जनवरी~~ 25, 2019

विषय–नियमित तौर पर खसरा, खतौनी में नामांकन एवं भू–मानचित्र में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में परिषदादेश संख्या डब्लू 131/4–विविध 01/2018 (मानचित्रालय) दिनांक 26–9–2018 एवं परिषदादेश संख्या जी–35/4–विविध 01/2018 (मानचित्रालय) दिनांक 18–01–2019 तथा प्रश्नगत प्रकरण में शासन के पत्र संख्या डब्ल्यू–59/एक–9–2018–1912(रिट)/2018 दिनांक 29–01–2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिनके द्वारा उ0प्र0 भू–लेख नियमावली में विहित प्राविधानों के अनुसार नियमित तौर पर खसरा, खतौनी में नामांकन/प्रविष्टि एवं भू–मानचित्र में संशोधन/प्रविष्टि दर्ज किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2– आप अवगत हैं कि उ0प्र0 भूमि लेख नियमावली के अध्याय 5 के परिच्छेद 55, अध्याय क–5 के परिच्छेद क–55 के अनुसार लेखपाल अपने हल्के के प्रत्येक ग्राम के प्रत्येक खेत का प्रति वर्ष 03 बार निरीक्षण करेगा उसके दौरे क्रमशः 10 अगस्त, 01 जनवरी व 01 मई को आरम्भ होंगे। पहला, दूसरा व तीसरा क्रमशः 25 सितम्बर, 15 फरवरी व 31 मई तक पूरा किया जायेगा। राजस्व निरीक्षक उ0प्र0 भूमि लेख नियमावली के अध्याय 36 के परिच्छेद 411 लगायत 418 तथा अध्याय 37 के परिच्छेद 420 लगायत 444 में विहित व्यवस्थानुसार क्रमशः ग्राम के नक्शे का पर्यवेक्षण, खसरे की परीक्षा एवं खतौनी की परीक्षा करेंगे। नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार उ0प्र0 भूमि लेख नियमावली के अध्याय 60 के परिच्छेद 613 से 618 के अन्तर्गत तथा सम्बन्धित परगनाधिकारी उक्त नियमावली के अध्याय 56 के परिच्छेद 577 से 582 में विहित व्यवस्थानुसार ग्राम के नक्शों और अभिलेखों का निरीक्षण करेंगे। जिलाधिकारी उ0प्र0 भूमि लेख नियमावली के अध्याय 49 के परिच्छेद 521 से 534 एवं अध्याय 50 के परिच्छेद 535 लगायत 537 के अन्तर्गत क्रमशः सामान्य पर्यवेक्षण और नियन्त्रण, निरीक्षण टिप्पणियों और अन्य प्रसूचनाओं का निस्तारण करगें ऐसा विहित है।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 भू–लेख नियमावली के उपर्युक्त प्राविधानों के साथ ही नक्शा, खसरा, खतौनी व अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण सम्बन्धी नियमावली में अन्य वर्णित सुसंगत प्राविधानों तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा–30, 32 एवं 38 के अन्तर्गत नक्शा, खसरा, खतौनी के अनुरक्षण एवं अभिलेखों में समस्त परिवर्तन/किसी गलती और लोप के सुधार से सम्बन्धित प्रकरणों का यथाशीघ्र निस्तारण कराने के सम्बन्ध में

–2–

O/C 31.1.19 31-1-19

सम्बन्धित प्राविधानों का शत–प्रतिशत कड़ाई से अनुपालन करने हेतु अपने अधीनस्थ समस्त तहसीलदारों को निर्देशित करें कि वह प्रत्येक फसल (रबी, खरीफ एवं जायद) के उपरान्त अगले मासान्त तक उत्तर प्रदेश भूमि लेख नियमावली के प्राविधानों के अनुसार विस्तृत समीक्षात्मक रिपोर्ट जिलाधिकारी को उपजिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित करेंगे तथा जिलाधिकारी प्रत्येक मासिक समीक्षा बैठक में प्राप्त रिपोर्ट का सतत् अनुश्रवण करते हुये अग्रेतर कार्यवाही करेंगे।

कृपया तद्नुसार अपने जनपद के समस्त अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों को कड़े निर्देश निर्गत करते हुये कृत कार्यवाही से परिषद/शासन को भी यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(रजनीश गुप्ता)
आयुक्त एवं सचिव।

5.2.19

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन, राजस्व विभाग लखनऊ को उनके पत्र संख्या डब्ल्यू–59/एक–9–2018–1912 (रिट)/2018 दिनांक 29–01–2019 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2–समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार अधीनस्थ जनपदों को आवश्यक निर्देश निर्गत करने के साथ ही प्रभावी अनुश्रवण भी कराने का कष्ट करें।

3– चकबन्दी आयुक्त, उ0प्र0, सप्तम् तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

31.1.19

31.1.19

(कुमार विनीत)
स्टाफ आफिसर,
कृते आयुक्त एवं सचिव।